राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2382/2015

डॉ. संजीव कुमार पूनियां **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.09.2015
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक्स) के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है और वह मेरिट सूची दिनांक 15.07.2007 के आधार पर वरिष्ठ है, जिसकी मेरिट क्रमांक 2191 है। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी ने पीजी डिग्री जुलाई, 2006 में पूर्ण की और उक्त योग्यता को पदोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु विभाग को भेज दी। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के विरूद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने

का हकदार है। उक्त मामले से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 01.04.2015 को भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक्स) के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि चिकित्सा अधिकारियों की अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2007 की स्थिति दर्शाते हुए अपीलार्थी का क्रम संख्या 2191 पर नाम अंकित है, किंतु कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) पद पर पदोन्नति हेतु चिकित्सकों की विशिष्टतावार वरिष्ठता आधार पर पात्रता सूची तैयार कर पदोन्नति दी जाती है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2009–10 व 2010–11 की रिक्ति हेतु आयोजित डीपीसी के समय अपीलार्थी की पीजी उत्तीर्ण की सूचना राजपत्रित डीपीसी अनुभाग के पास उपलब्ध नहीं थी, जिससे पदोन्नति हेतु प्रस्तुत पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं हो सका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बी.एस.बजवा बनाम पंजाब राज्य व अन्य में एससीसी 1998(2) पेज संख्या 523 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एक बार वरिष्ठता का निर्धारण होने के पश्चात् लम्बे अंतराल के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी मेरिट सूची दिनांक 15.07.2007 के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर वरिष्ठ है, जिसकी मेरिट क्रमांक 2191 है। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है और अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई है। अपीलार्थी द्वारा पी.जी. डिग्री जुलाई, 2006 में पूर्ण की गई, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जहां तक अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा जुलाई, 2006 में मास्टर ऑफ सर्जरी (पी.जी.

डिग्री) उत्तीर्ण की। जबकि कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची भी दिनांक 01.04.2007 को जारी की गई। जबकि अपीलार्थी वर्ष 2006 में ही पी.जी. डिग्री उत्तीर्ण कर चुका था और उत्तीर्ण उपरांत विभाग को अपीलार्थी द्वारा सूचना भी दी गई, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता अंकन करने में की गई लापरवाही के कारण अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित होना पड़ा, जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा उत्तीर्ण की गई पी.जी. डिग्री योग्यता को ध्यान में रखते हुए एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) के पद की रिक्ति वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य